**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 4449**
**गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## विमानपत्तनों का निजीकरण

**4449. श्रीमती मंजू शर्मा:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी कंपनियों को पट्टे पर दिए गए विमानपत्तनों के नाम और ब्यौरे क्या हैं;

(ख) इन विमानपत्तनों को किस आधार और शर्तों पर निजी कंपनियों को आवंटित किया गया है और सरकार द्वारा अर्जित/अर्जित किए जाने की संभावना कितनी है;

(ग) क्या जयपुर विमानपत्तन को भी एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसे कब तक के लिए आवंटित किया गया है;

(घ) क्या विमानपत्तनों को निजी कंपनी को सौंपे जाने के कारण यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोई असुविधा हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) और (ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अपने आठ हवाईअड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए दीर्घकालिक पट्टा आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत पट्टे पर दिया है।

हवाईअड्डों को सौंपे जाने के बाद से, एएआई को दिनांक 19.03.2025 तक दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के रियायतग्राही से राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लगभग 41919 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, शेष छह हवाईअड्डों के निजी साझेदारों ने फरवरी, 2025 तक प्रति यात्री शुल्क (पीपीएफ) के रूप में एएआई को लगभग 2640 करोड़ रूपए का भुगतान किया है। एएआई को इन हवाईअड्डों पर एएआई द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय के प्रति अग्रिम शुल्क के रूप में इन छह हवाईअड्डों के निजी साझेदारों से लगभग 5260 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है।

(ग): जयपुर हवाईअड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल) को 50 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है।

(घ) और (ङ): एएआई हवाईअड्डों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के कार्यान्वयन पर, एएआई के कर्मचारियों के पास एएआई के साथ बने रहने या पीपीपी साझेदार के साथ

कर्मचारी के रूप में जुड़ने का विकल्प है। जो लोग एएआई के साथ बने रहते हैं, वे एएआई की सेवा-शर्तों और नियमों द्वारा शासित होते हैं और जो लोग निजी कंपनी का विकल्प चुनते हैं, वे संबंधित निजी कंपनी की सेवा-शर्तों और नियमों द्वारा शासित होते हैं।

*****